कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 05.06.2026

थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड (PCR) पर लिए गए शातिर लुटेरे की निशानदेही पर लूट की नकदी 8,700 रु0 बरामद।

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानाबाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाए गए अभियुक्त की निशानदेही पर लूट की घटना से संबंधित ₹8,700 की धनराशि बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 08.04.2026 को वादी श्री रंजीत सिंह पुत्र स्व. करतार सिंह निवासी लेबर कॉलोनी, गोविन्द नगर, थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना जहानाबाद पर लिखित सूचना दी गई थी कि अभियुक्त जीत सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कचवइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर एवं उसके अन्य साथियों द्वारा पुलिस का भय दिखाकर एवं डरा-धमकाकर उनसे ₹5,08,000 की धनराशि ठगी/लूट कर ली गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानाबाद पर मु0अ0सं0- 45/2026 धारा 318(4), 319(2), 61(2), 317(2), 310(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड एवं बरामदगी

विवेचना के दौरान मामले के शातिर आरोपी सबल सिंह उर्फ भटल्ला ने दिनांक 14.05.2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। साक्ष्यों के संकलन और बरामदगी हेतु विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय से अभियुक्त की पुलिस कस्टडी रिमांड (PCR) मांगी गई थी। रिमांड अवधि: दिनांक 05.06.2026 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 17:00 (05:00) बजे तक।

बरामदगी की कार्यवाही- नियमानुसार जिला कारागार से अभियुक्त को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म इकबाल करते हुए लूटे गए रुपयों को छुपाने की बात स्वीकार की। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम कोर्रा कनकपुर स्थित उसके निवास स्थान से घर के अंदर छिपाकर रखा गया एक पारदर्शी प्लास्टिक का डिब्बा बरामद हुआ, जिसमें से कुल 8,700/- रुपये नगद (500-500 के 17 नोट व 200 का 01 नोट) बरामद किए गए।

बरामदगी की समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए बरामद माल को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त को नियमानुसार पुनः जिला कारागार में दाखिल कराया गया।

अभियुक्त का नाम पता

1. सबल सिंह उर्फ भटल्ला पुत्र शिरोमन सिंह निवासी – ग्राम कोहरा, थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर हाल पता – ग्राम कोर्रा कनकपुर, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद प्लास्टिक का पारदर्शी डिब्बा।

- ₹8,700 नगद (₹500 के 17 नोट एवं ₹200 का 01 नोट)।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-356/2016, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0-45/2026, धारा 318(4), 319(2), 61(2), 317(2), 310(2) बीएनएस, थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह
2. वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजय कुमार यादव
3. उपनिरीक्षक प्रेम कुमार पाठक
4. कां0 प्रबल यादव
5. रि0 कां0 अनुराग यादव
6. महिला रि0 कां0 रीनू अहिरवार